आदेश की क्रम सं0 और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि
30/11/2018	**जमाबंदी रद्द वाद सं0 L.R. 265/2004–05, 228/2005–06 रामप्रसाद महतो बनाम् नथु महतो साकिन कोयरीडीह**	

आदेश

यह अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह द्वार प्राप्त हुआ हैं उक्त अभिलेख में मौजा कोयरीडीह थाना नं0 78 खाता नं0 88 खेसरा नं0 1676 एवं 1802 रकबा क्रमशः 0.80 एकड़ एवं 1.00 एकड़ कुल रकबा 1.80 एकड़ भूमि की रामप्रसाद महतो पिता शनिचर महतो ग्राम कोयरीडीह के नाम कायम अवैध जमाबंदी को अंचल अधिकारी बगोदर, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह एवं अनुमण्डल पदाधिकारी गिरिडीह द्वारा रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अभिलेख अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए–

1. प्रश्नगत भूखण्ड खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास भूमि है।
2. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी के पत्रांक 768 दिनांक 30.03.2004 के अनुसार मौजा कोयरीडीह के खाता संख्या 88 खेसरा संख्या 1676 एवं 1802, अधिसूचना संख्या सी0पी0एफ0 10/81/53–4798/आर0 दिनांक 08.12.1953 के अनुसार वन भूमि है।

3. प्रश्नगत भूमि रामप्रसाद महतो को भूदान यज्ञ कमिटि द्वारा प्राप्त होने की बात कही गई है। जिसके संपुष्टि का आधार प्रस्तुत नही किया गया है। विदित हो कि भूदान यज्ञ कमिटि द्वारा सरकारी भूमि को दान स्वरूप दिये जाने का प्रावधान ही नही था।

पक्षकार द्वारा बार–बार मौका देने के बावजूद अपने दावा संबधी कागजात प्रस्तुत नही किया गया।

राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड राँची के संकल्प सं0 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 द्वारा संसूचित संकल्प के आलोक में अधिसूचित वन भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में है।

अतः अंचल अधिकारी बगोदर, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह एवं अनुमण्डल पदाधिकारी गिरिडीह के अनुशंसा तथा वन प्रमण्डल पदाधिकारी हजारीबाग पूर्वी द्वारा प्रेषित अधिसूचना तथा अभिलेख में संलग्न कागजात के आलोक में मौजा कोयरीडीह थाना नं0 78 खाता नं0 88 खेसरा नं0 1676 एवं 1802 रकबा क्रमशः 0.80 एकड़ एवं 1.00 एकड़ कुल रकबा 1.80 एकड़ भूमि की रामप्रसाद महतो पिता शनिचर महतो ग्राम कोयरीडीह के नाम कायम अवैध जमाबंदी को जगदेव महतो एवं कमिश्नर में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वांत के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत रद्द की जाती है।

समपुष्टि हेतू अभिलेख आयुक्त उतरी छोटानागपूर प्रमण्डल हजारीबाग के माध्यम से सरकार को भेजी जाय।

लेखापित
30/11
अपर समाहर्त्ता
गिरिडीह

30/11
अपर समाहर्त्ता
गिरिडीह